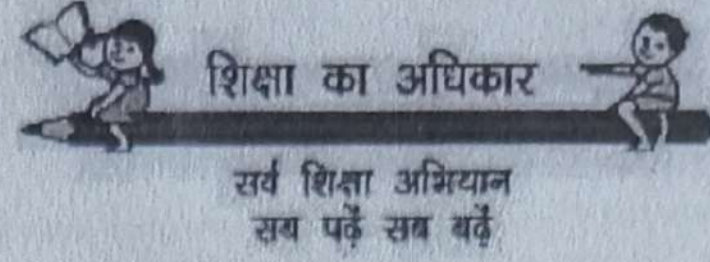


जिला शिक्षा अधीक्षक-सह-नोडल पदाधिकारी
आर०टी०ई०, राँची

मध्य विद्यालय बी०एम०पी०-1 डोरण्डा परिसर, राँची-834002

☎ 0651-2490065 (Office), Fax-2490064

Email- rteranchi@gmail.com, Website : www.dseranchi.com



प्रपत्र -2

जिला शिक्षा अधीक्षक का कार्यालय-राँची

सख्यांक- 126

तारीख 10.01.2022

प्रबंधक,

संत जगत ज्ञान सिनियर सेकेण्डरी पब्लिक स्कूल,
नगड़ी, राँची।

विषय:- निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 की धारा 18 के प्रयोजन के लिए झारखण्ड निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियमावली, 2011 के नियम के अधीन विद्यालय के लिए मान्यता प्रमाण-पत्र।

प्रसंग:- जिला प्रारंभिक शिक्षा समिति की बैठक दिनांक 08.10.2021 में लिये गये निर्णय एवं दिनांक 06.01.2022 को उपायुक्त महोदय द्वारा दिये गये आदेश।

महोदय/ महोदया,

उपर्युक्त विषयक प्रसंगाधीन बैठक में लिये गये निर्णय के आलोक में विद्यालय- संत जगत ज्ञान सिनियर सेकेण्डरी पब्लिक स्कूल, नगड़ी, राँची (ST. JAGAT GYAN SENIOR SECONDARY SCHOOL NAGRI RANCHI) के साथ हुए पत्राचार एवं विद्यालय के निरीक्षण प्रतिवेदन के आधार पर विद्यालय- संत जगत ज्ञान सिनियर सेकेण्डरी पब्लिक स्कूल, नगड़ी, राँची को शैक्षणिक सत्र के 2021-2022 से कक्षा 1 (एक) से 8 (आठ) तक के लिए मान्यता प्रदान करने की संसूचना निम्न शर्तों के अधीन दी जाती है-

1. इस मान्यता से किसी भी रूप में कक्षा 8 के पश्चात् मान्यता/सम्बद्धन करने के लिए बाध्यता निहित नहीं है।
2. विद्यालय निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 एवं झारखण्ड निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियमावली, 2011 के उपबंधों तथा विभागीय अधिसूचना संख्या झापांक 629 दिनांक 25.04.2019 को लागू करना होगा।
3. विद्यालय अपनी प्रथम कक्षा में उस कक्षा में बालकों की संख्या के 25 प्रतिशत तक आस-पास के कमजोर एवं अभिवर्धित वर्ग के बच्चों को प्रवेश प्रदान करेगा और उन्हें निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा उसकी प्रारंभिक शिक्षा पूर्ण हो जाने तक उपलब्ध कराएगा।
4. उक्त कंडिका -3 में उल्लेखित बालकों के लिए विद्यालय की अधिनियम धारा-12 की उपधारा (2) के उपबंधों के तहत प्रतिपूर्ति राशि हेतु विद्यालय एक अलग बैंक खाता संधारित करेगा।
5. विद्यालय किसी भी प्रकार से बच्चों या उनके अभिभावक से कोई कैंपिटेशन शुल्क नहीं लेगा और विद्यालय में नामांकन हेतु किसी बालक या उसके माता-पिता या अभिभावक का किसी प्रकार का स्क्रीनिंग टेस्ट नहीं होगा।
6. विद्यालय किसी बालक को, उसकी आयु का सबुत नहीं होने के कारण, प्रवेश देने से इन्कार नहीं करेगा और ऐसी स्थिति में अधिनियम की धारा 15 के उपबंधों का पालन किया जायेगा।
7. विद्यालय निम्नलिखित बिन्दुओं का अनुपालन सुनिश्चित करेगा-
 - (क) प्रवेश दिए गए किसी भी बच्चे को, विद्यालय में उसकी प्रारंभिक शिक्षा पूरी होने तक, किसी कक्षा में अनुत्तीर्ण नहीं किया जायेगा या उसे विद्यालय से निष्कासित नहीं किया जायेगा।
 - (ख) किसी भी बालक को शारीरिक दंड नहीं दिया जायेगा।
 - (ग) प्रारंभिक शिक्षा पूरी होने तक किसी भी बालक से कोई बोर्ड परीक्षा उत्तीर्ण करने की अपेक्षा नहीं की जायेगा।



Pankaj K. Singh
SECRETARY
St. Jagat Gyan Public School
Piska Nagri, Ranchi, Jharkhand

J. Deo
Principal
St. J.G. Sr. Sec. Public
Piska Nagri, Ranchi
Jharkhand

Jharkhand

Jharkhand



- (घ) प्रारंभिक शिक्षा पूरी होने तक प्रत्येक बालक को अधिनियम एवं नियमावली के प्रावधान के आलोक में प्रमाण-पत्र पदान किया जाएगा।
- (ङ) अधिनियम के उपबंध के अनुसार निःशक्तता ग्रस्त/विशेष आवश्यकताओं वाले विद्यार्थियों को प्रवेश दिया जाएगा।
- (च) संबंधित विद्यालय अपने पास-पड़ोस के 1 से 5 कि०मी० के परिधीय क्षेत्र के कम से कम 80 प्रतिशत बालकों का आर०टी०ई० अंतर्गत 25 प्रतिशत नामांकन सहित अपने विद्यालय में नामांकन सुनिश्चित करेगा।
- (छ) विद्यालय अपने मुख्य प्रवेश एवं निकास (Entrance and Exit) द्वार, जो मुख्य अथवा सहायक पथ पर पड़ते हैं, उसे आम आवागमन के लिए बाधित नहीं किये जाने की जबाबदेही लेंगे तथा इस हेतु पूर्व से ही आवश्यक संरचनात्मक व्यवस्था करेंगे।
- (ज) अध्यापकों की भर्ती अधिनियम की धारा 23(1) के अधीन घोषित सक्षम प्राधिकार राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् द्वारा निर्धारित अहर्ताएँ के अनुरूप किया जायेगा तथा उनके पास उनके निर्धारित न्यूनतम अहर्ता, अधिनियम 2009 के लागू होने के समय नहीं है, तीन वर्ष के भीतर ऐसी न्यूनतम अहर्ताएँ पूर्ण कर लेंगे।
- (झ) अध्यापक, अधिनियम की धारा 24(1) के अधीन उल्लेखित अपने कर्तव्यों का पालन करेंगे।
- (ञ) अध्यापक स्वयं को किसी निजी अध्यापन क्रियाकलापों में नियोजित नहीं करेंगे।
8. विद्यालय अधिनियम की धारा 19 में यथा उल्लेखित विद्यालय के मानकों और सन्नियमों को बनाए रखेगा।
9. विद्यालय में अंतिम निरीक्षण के समय प्रतिवेदित की गई प्रसुविधाएँ निम्नानुसार हैं:-
- विद्यालय परिसर का क्षेत्रफल - 1 एकड़ 26 डिसमील
 - कुल निर्मित क्षेत्रफल - 3265.77 वर्ग मीटर
 - क्रीड़ा-स्थल का क्षेत्रफल - 5076 वर्ग मीटर
 - कक्षाओं की संख्या- 16
 - प्राध्यापक-सह-कार्यालय-भंडागार के लिए कक्ष - 01
 - बालक और बालिकाओं के लिए पृथक शौचालय - बालक- 10 / बालिका- 12
 - पेयजल सुविधा - उपलब्ध है।
 - मिड-डे-मिल पकाने के लिए रसोई (सरकारी विद्यालय) - लागू नहीं।
 - बाधारहित पहुँच - उपलब्ध है।
 - अध्यापन पठन सामग्री/क्रीड़ा खेलकूद उपस्करों/पुस्तकालय की उपलब्धता- उपलब्ध है।
10. विद्यालय के परिसर के भीतर या उसके बाहर विद्यालय के नाम से कोई गैर-मान्यताप्राप्त कक्षाएँ नहीं चलाई जाएगी।
11. विद्यालय भवनों या अन्य संरचनाओं या क्रीड़ा-स्थल का प्रयोग केवल शिक्षा और कौशल विकास के प्रयोजन के लिए किया जायेगा।
12. स्कूल को किसी व्यक्ति, व्यक्तियों के समूह या संगम या किन्हीं अन्य व्यक्तियों के लाभ के लिए नहीं चलाया जायेगा।
13. विद्यालय के लेखाओं की किसी चार्टर अकाउंटेंट द्वारा संपरीक्षा की जानी चाहिए और उसके द्वारा प्रमाणित किया जाना चाहिए तथा उचित लेखा विवरण नियमों के अनुसार तैयार किए जाने चाहिए। प्रत्येक लेखा विवरण की एक प्रति प्रत्येक वर्ष जिला शिक्षा अधीक्षक को भेजी जायेगी।

44



Pankaj K. Singh
SECRETARY
St. Jagat Gyan Public School
Piska Nagri, Ranchi, Jharkhand

J. G. Singh
Principal
St. J.G. Sr. Sec. Public School
Piska Nagri, Ranchi
Jharkhand

जिला शिक्षा अधीक्षक-सह-नोडल पदाधिकारी

आर०टी०ई०, राँची

मध्य विद्यालय बी०एम०पी०-1 डोरण्डा परिसर, राँची-834002

☎ 0651-2490065 (Office), Fax-2490064

Email- rteranchi@gmail.com, Website : www.dseranchi.com



शिक्षा का अधिकार

सर्व शिक्षा अभियान
सब पढ़ें सब बढ़ें

14. विद्यालय ऐसी प्रतिवेदन और जानकारी प्रस्तुत करेगा जो समय-समय पर प्राथमिक शिक्षा निदेशक/ जिला शिक्षा अधीक्षक द्वारा अपेक्षित हो और राज्य सरकार/स्थानीय प्राधिकार के ऐसे अनुदेशों का पालन करेगा, जो मान्यता संबंधी शर्तों के सतत अनुपालन को सुनिश्चित करने या विद्यालय के कार्यकरण की कमियों को दूर करने के लिए जारी किए जाये।
 15. विद्यालय को सोसाईटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1860 के अधीन रजिस्ट्रीकृत उसी सोसाईटी द्वारा या तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन गठित किसी लोक न्यास द्वारा चलाया जायेगा। सोसाईटी के रजिस्ट्रीकरण के नवीकरण, यदि कोई हो, को सुनिश्चित किया जायेगा।
 16. विद्यालय के बच्चों के निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009, झारखण्ड के बच्चों के निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा अधिकार अधिनियम नियमावली 2011 एवं विद्यालय को विभागीय अधिसूचना संख्या- 629 दिनांक 25.04.2019 में अंकित प्रावधानों एवं शर्तों को लागू करना होगा।
 17. विद्यालय एवं उससे संबंधित भूमि का सही-सही विवरण उपलब्ध कराने/अभिलेख संघारण/ उसके नियमानुकूल अथवा वैधानिक रूप से क्रय/हस्तान्तरण/प्राप्ति की पूरी-पूरी जवाबदेही संबंधित विद्यालय एवं उसके सोसाईटी की है एवं होगी। अतएव यदि भविष्य में इससे संबंधित कोई विवाद/वाद/माननीय न्यायालय वाद/अपराधिक वाद उत्पन्न होता है तो विभाग/सरकार/जिला शिक्षा अधीक्षक कार्यालय की कोई भी जवाबदेही नहीं होगी। इसकी पूरी-पूरी जवाबदेही संबंधित विद्यालय की प्रबन्ध समिति एवं उसकी सोसाईटी की होगी।
 18. उपायुक्त-सह-जिला दण्डाधिकारी राँची के पत्रांक 1983 दिनांक 09.07.2021 पत्रांक 2925 दिनांक 08.10.2021 एवं पत्रांक 132 दिनांक 11.01.2022 के द्वारा निजी विद्यालयों के मान्यता से संबंधित कतिपय बिन्दुओं पर मार्गदर्शन की मांग सचिव, स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, झारखण्ड राँची से की गयी है। यदि इसमें कोई प्रतिकूल आदेश पारित होता है तो आदेश में संशोधित/रद्द किया जाएगा।
 19. विभागीय पत्रांक 1903 दिनांक 22.10.2021 के द्वारा विद्यालयों को ऑनलाईन देने हेतु पोर्टल में आवश्यक संशोधन किये जा रहे हैं। इस स्थिति में आवश्यक संशोधनोंपरांत पोर्टल के माध्यम से ऑनलाईन स्वीकृति देने तक के लिए तत्काल ऑफलाइन मान्यता दी जा रही है। यह आदेश ऑनलाईन मान्यता निर्गत होने तक मान्य होगा।
- (यह आदेश उपायुक्त, राँची की अध्यक्षता में जिला प्रारंभिक शिक्षा समिति की बैठक दिनांक 08.10.2021 में लिये गये निर्णय एवं उपायुक्त, राँची के द्वारा दिनांक 06.01.2022 को संचिका में दिये गये आदेश के आलोक में निर्गत किया जा रहा है।)
- आपके विद्यालय को आवंटित मान्यता कोड संख्या 2021-048/2021-22 हैं। कृपया इसे नोट कर लें और इस कार्यालय के साथ किसी पत्राचार के लिए संख्याक/आवंटित कोड का उल्लेख किया जाये।

विश्वासभाजन

10/01/22

जिला शिक्षा अधीक्षक,

सुपरी, राँची।

10/01/2022

10/01/22



Pankaj K. Singh
SECRETARY
St. Jagat Gyan Public School
Piska Nagri, Ranchi, Jharkhand

J. D. Singh
Principal
St. Jagat Gyan Public School
Piska Nagri, Ranchi
Jharkhand